इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद,

सम्बद्धता हेतु आवेदन का प्रारूप

(उत्तर प्रदेश शासन, उच्चशिक्षा अुनभाग–2 के आदेश संख्याः–3075/सत्तर/2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर 2002 के अनुसार)

1.	संस्था/महाविद्यालय का नाम फोन नं0/मोबाइल नं0 विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की दूरी किमी में	
2.	संचालक सोसायटी/ट्रस्ट का नाम	
3.	सोसाइटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण।	
4.	पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए सम्बद्धता वांछित है।	
5.	जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 कि0मी0 की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं ?	
6.	प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है ?	
7.	उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित है ?	

8.	उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है ?	
9.	क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेगें ?	
10.	क्या विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेगे ?	
11.	महाविद्यालय/संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय या उसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय/संस्थान का नाम जाति विशेष के नाम पर तो नही है।	
12.	यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कितने विषयों/ पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।	
13.	पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षो का परीक्षाफल का विवरण	
14.	यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए निर्वाधन/अनापत्ति वांछित है तो उससे संबंधित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा – 2(एफ) में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से	

	निकटवर्ती महाविद्यालय / महाविद्यालयों का नाम जहा उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हो उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।	
15.	<u>प्राभूत</u> मानकानुसार निर्धारित प्राभूत जमा किये जाने एवं कुलसचिव के पक्ष में बंधक किये जाने की सप्रमाण स्थिति।	
	<u>प्राभूत की राशि</u>	
(1)	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों हेतु रू0 2.00 लाख	
(2)	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु प्राभूत राशि रू0 50,000/-	
(3)	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु रू0 50,000/-	
(4)	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परम्परागत विषयों हेतु रू0 3.00 लाख	
(5)	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी.एस.सी.(कम्प्यूटर साइंस) बी.एस.सी.(इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी) आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्र के लिए प्राभूत (क्रम 4 के अतिरिक्त) रू0 3.00 लाख	
(6)	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रू0 55,000/-	
(7)	स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु रू0 75,000/-	
(8)	स्नातकोत्तर स्तर पर एम.काम. अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु रू0 2.00 लाख	
(9)	**एल.एल.वी.(तीनवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु रू0 4.00 लाख**	
(10)	एल.एल.वी. (पांचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु रू0 6.00 लाख	
(11)	बी.बी.ए./बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रू0 3.00 लाख	
(12)	एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रू0 5.00 लाख	
(13)	एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रू0 3.00 लाख	
(14)	स्नातक स्तर पर बी.काम. हेतु रू0 2.00 लाख	
(15)		

(16)	बी.एड. तथा बी.पी.एड. हेतु रू0 2.50 लाख वी.एस.सी. कृषि संकाय के पांच विषय हेतु रू0 3.00 लाख	
16.	<u>भूमि</u>	
(1)	संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में।	
(2)	उक्त भूमि का विवरण	
(क)	जनपद	
(ख)	तहसील	
(ग)	ग्राम	
(घ)	गाटा संख्या जिसके अंतर्गत भूमि/भूमि का भाग संस्था/महाविद्यालय के नाम अंकित है :–	
(ड)	यदि भूमि किसी प्राधिकरण से लीज पर ली गयी हो तो लीजडीड में उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार वर्णन	
(3)	<u>भूमि का मानक</u>	
(1)	नगर निगम/वि0प्रा0 क्षेत्र – 5000 वर्गमीटर	
(2)	नगर पालिका/वि0प्रा0 परिक्षेत्र – 7000 वर्गमीटर	
(3)	अन्य क्षेत्र – 20000 वर्ग मीटर शासनादेश संख्या–743मु0मं0/सत्तर–2–2006–2 (166) /2002 दिनांक 7 नवम्बर, 2006 के अनुसार दिनांक 12.10.2006 या उसके पश्चात नये महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रस्ताव पर	

	भूमि के मानक निम्नवत् है :– नगर निगम क्षेत्र – 5000 वर्गमीटर अन्य नगरीय क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र) – 10000 वर्ग मीटर किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक क 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।	
(4)	कृषि महाविद्यालय के लिये उपर्युक्त मानकानुसार के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है।	
(5)	विधि पाठ्यक्रम	
(क)	तृतीय वर्ष हेतु – 1200 वर्गमीटर	
(ख)	पंचवर्षीय हेतु – 1500 वर्गमीटर	
(ग)	तृतीय एवं पंचवर्षीय सम्मिलित पाठ्यक्रम हेतु – 2000 वर्गमीटर	
(6)	ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।	
(7)	मानकानुसार अपेक्षित भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होना अनिवार्य है। पैतृक संस्था अपने नाम को भूमि की 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय का नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः आन्तरित कर सकती है। किन्तु 30 वर्ष से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा।	
(8)	महाविद्यालय के भूमि के सम्बन्ध में कई भूखण्डों होने की स्थिति में सभी भूखण्डों के एक ही स्थान पर और परस्पर सटे होने का सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण एवं राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शा मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्ताव के साथ मूल अभिलेख संलग्न करें।	
17.	भवन	
(i)	वर्तमान में निर्मित भवन की स्थित	
(क)	जनपद	
(ख)	तहसील	
(ग)	ग्राम	
(घ)	गाटा संख्या जिसमें भवन निर्मित है।	

(ii)	भवन का क्षेत्रफल	
(iii)	निर्मित भवन में प्रत्येक कक्षों का माप सहित विवरण	
(iv)	**भवन में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण**	
(क)	विद्युत आपूर्ति	
(ख)	पेयजल	
(ग)	टेलीफोन	
(घ)	प्रसाधन	
(v)	भवन का मानक	
(1)	कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष 85 से 90 वर्गमीटर में	
(2)	प्रयोगशाला कक्ष – 80 वर्गमीटर	
(3)	पुस्तकालय/वाचनालय कक्ष – 80 वर्गमीटर	
(4)	अध्यापक कक्ष – 20 वर्गमीटर	
(5)	एक छात्रा कक्ष – 20 वर्गमीटर	
(6)	प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष एवं मीटिंग कक्ष तथा लेखा कक्ष – 80 वर्गमीटर	
(7)	बरामदा – 100 वर्गमीटर	
(8)	शौचालय (छात्र एवं छात्रा हेतु पृथक दो प्रत्येक 4 वर्गमीटर में कुल – 8 वर्गमीटर	
(9)	महाविद्यालय की चहारदिवारी निर्मित है अथवा नहीं। उपरोक्त कुल निर्मित भूमि का योग – 828 वर्गमीटर होना अनिवार्य है।	

18.	फर्नीचर का विवरण	
(i)	शिक्षण कक्षों हेतु उपलब्ध फर्नीचर का विवरण	
(ii)	प्रशासनिक कक्षों में फर्नीचर का विवरण	
(iii)	पुस्तकालय कक्ष में फर्नीचर का विवरण	
(iv)	प्रयोगशाला कक्ष में फर्नीचर का विवरण	
(v)	क्या उक्त फर्नीचर संस्था/महाविद्यालय के स्टाक रजिस्टर में मूल्य सहित अंकित है अथवा नहीं।	
19.	<u>पुस्तकालय</u> (मानक हेतु संलग्नक–1 देखें।)	
(i)	पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तकों की विषयवार संख्या एवं क्रय मूल्य के प्रमाणिक अभिलेख।	
(ii)	प्रार्थित विषयों हेतु उपलब्ध पुस्तकें	

(iii)	पूर्ववर्ती वर्षो में उक्त में से कितनी पुस्तकें क्रय की गयी	
(iv)	वर्तमान वर्ष में क्रय की गयी पुस्तकों का विवरण मूल्य सहित	
20.	प्रयोगशाला (मानक हेतु संलग्नक–2 देखें।)	
(i)	सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार क्रय किये गये उपकरणों का मूल्य सहित विवरण	
(ii)	क्या क्रय किये गये उपकरण प्रयोगिक विषय के संचालन हेतु पर्याप्त है ?	
(iii)	प्रयोगशाला में उपलब्ध रसायन/चार्टस आदि का विवरण एवं क्रय मूल्य	
(iv)	स्टाक रजिस्टर में क्या उक्त विवरण अंकित है या नहीं	
21.	प्रबन्ध समिति	
(i)	प्रबन्ध समिति के गठन एवं विश्वविद्यालय से उसके अनुमोदन की स्थिति	
(ii)	सोसायटी/ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम	
22.	शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों हेतु उपलब्ध आवश्यक सुविधाएं	
(i)	क्रीड़ा–स्थल क्षेत्रफल सहित (भूमि का कुल क्षेत्रफल – 828 वर्ग मी0)	
(ii)	क्रीडा – सामग्री का विवरण	
(iii)	छात्रावास, यदि व्यवस्था हो तो उसका विवरण एवं विद्यार्थियों की क्षमता	
23.	शिक्षण व्यवस्था	
(i)	निदेशक/प्राचार्य का नाम योग्यता व वेतनमान	

(ii)	संचालित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों का शैक्षणिक अर्हत सहित विवरण एवं नियुक्ति का प्रकार (नियमित स्थायी नियुक्ति/संविदा पर नियुक्त)	
(iii)	नियुक्ति शिक्षकों में से कितने शिक्षक आयोग से चयनित हैं तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति जी का अनुमोदन प्राप्त है।	
(iv)	यदि किसी पाठ्यक्रम में शिक्षण हेतु नियुक्ति वर्तमान में नहीं की गयी है, तो भावी योजना क्या है:–	
(v)	वर्तमान में शिक्षकों के वेतनादि मद में व्यय की गयी मासिक धनराशि का विवरण	
(vi)	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या (विवरण हेतु संलग्नक 3 को देखें)	
24.	महाविद्यालय को संचालित कर रही संस्था की आर्थिक स्थिति (विवरण हेतु संलग्नक 4 को देखें)	
(i)	संस्था के आय के श्रोतों का विवरण	
(ii)	प्रत्येक श्रोत से होने वाली आय का वार्षिक विवरण	
(iii)	वर्तमान में संस्था के नाम बैंक खातों में जमा धनराशि का विवरण	
(iv)	महाविद्यालय के विभिन्न खातों में जमा धनराशि का विवरण	

25.	शपथ पत्र (संलग्नक 05 के अनुसार) रू0 50.00 के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र की संस्था / महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / सचिव तथा प्रबन्ध समिति के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा नोटरी द्वारा सत्यापित हो।	
26	**अण्डरटेकिंग**	
अ.	मैंने अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में स्वयं अभिलेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति में मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।	
ब.	यदि निरीक्षण टिप्पणी में कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।	
स.	शासनादेश संख्या 4954 / सत्तर–2–2008–2(166) / 2002 दिनांक 27.10.2008 के अनुसार निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।	

प्रबन्धक